www.jagran.com

बिहार रेरा ने इनकम टैक्स रेजिडेंसी के फ्लैटों के निबंधन पर लगाई रोक

रेरा की सख्ती, डिफाल्टर प्रमोटरों ने ग्राहकों को लौटाए 53 लाख रुपये

राज्य ब्यूरो, जागरण • पटना : बिहार रेरा की सख्ती का असर डिफाल्टर बिल्डरों और प्रमोटरों पर दिखने लगा है। रेरा बिहार में दायर सात अलग-अलग निष्पादन मामलों में गलती करने वाले प्रमोटरों ने पीड़ित घर खरीदारों को 53 लाख रुपये वापस किए हैं। वहीं प्रमोटर घर लक्ष्मी बिल्डकान के खिलाफ कड़ा रुख अपनाते हुए रेरा बिहार के अध्यक्ष विवेक कुमार सिंह की एकल पीठ ने आइजी निबंधन को प्रमोटर के प्रोजेक्ट इनकम टैक्स रेजिडेंसी के फ्लैटों के रजिस्ट्रेशन पर अगले आदेश तक रोक लगाने का निर्देश दिया।

शिकायतकर्ता मोहम्मद सगीर आलम ने अरोमा डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ ब्याज सहित 35 लाख रुपये की वापसी के लिए मामला दायर किया था। इसमें 20 लाख रुपये वापस कर दिए गए हैं और शेष राशि मार्च से तीन लाख रुपये

शिकायतकर्ता ने अरोमा डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ ब्याज सहित 35 लाख रुपये की वापसी के लिए मामला दायर किया था

प्रति माह की किस्तों में वापस की जाएगी। प्रमोटर जैस्कान एंटरबिल्ड ने 16.06 लाख में से 11 लाख रुपये वापस कर दिए। प्रमोटर काजरी इंफ्राटेक को शिकायतकर्ता शोभा सिंह को ब्याज सहित 15.06 लाख रुपये की मूल राशि वापस करने का निर्देश दिया गया था। इसमें अब तक नौ लाख रुपये वापस किए जा चुके हैं। अदालत ने प्रमोटर को मार्च तक शेष मूल राशि वापस करने को कहा।

रेरा ने एक अन्य मामले में शिकायतकर्ता बृज किशोर सिंह को तीन लाख रुपये वापस न करने पर प्रमोटर गृहवाटिका होम्स पर दो लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया, जिसके बाद प्रमोटर ने तुरंत 50 हजार रुपये वापस कर दिए। अदालत ने प्रमोटर को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया है। इसी प्रमोटर के एक अन्य मामले में शिकायतकर्ता कमल मोहन प्रसाद को 15 लाख की मूल राशि में से तीन लाख रुपये वापस कर दिए। प्रमोटर पल्लवीराज कंस्ट्रक्शन ने शिकायतकर्ता आरती चौधरी को पूरी राशि छह लाख रुपये वापस कर दिए। रुक्मणी बिल्डटेक ने शिकायतकर्ता नूतन सिंह को दो लाख रुपये वापस कर दिए और 20 मार्च से पहले शेष तीन लाख रुपये का भुगतान करने का फैसला किया।